DECEMBER 2011 JANUARY 2012
M T W T F S S M T W T F S S
1 2 3 4 30 31 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

मनसबदारी प्रथा

Appointments ~ Meetings

026-340 • WEEK 04

8.00

मुगल शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसका निर्माता अकबर था। और इसके विकास में उसने आंशिक रूप से मंगोल और तैमुरी परम्पराओं का भी प्रभाव भी ग्रहण किया था।

9.00

'मनसब' फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 'पद'। मनसबदार का शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अकबर के शासनकाल के तीन प्रमुख अंगों को अर्थात सेना, सेना एवं नौकरशाही को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित कर दिया था।

10.00

मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता है। ये अंक दशमलव पद्धति पर आधारित थे। न्यूनतम मनसब का अंक 10 था और अधिकतम 10,000 परन्तु सामान्यतः नियुक्तियाँ केवल 5000 के ही मनसब तक ही की जाती थी। केवल विशेष व्यक्तियों को अकबर द्वारा 7000 तक मनसब दिए गए।

11.00

अकबर के पश्चात इस संख्या में वृद्धि हुई और शाहजहाँ ने दारा शिकोह को 40,000 का मनसबदार प्रदान किया था।

12.00

आरम्भ में अकबर द्वारा मनसबदार में केवल एकल अंक प्रदान किये जाते थे। इससे अधिकारी का पदक्रम, वेतनमान और सैनिक दायित्व सभी का निर्धारण होता था।

1.00

कुछ वर्ष बाद संभवतः 1592 में अकबर ने मनसब को युग्म अंकों में परिवर्तित कर दिया जो क्रमशः जात और सवार मनसब कहलाता। अब अधिकारियों को मनसब में युग्म अंक प्रदान किये जाते थे जैसे 5000/5000 अथवा 2000/1000 आदि।

2.00

इसमें जोड़े का पहला अंक 'जात' मनसब कहलाता है और दूसरा अंक 'सवार' मनसब कहलाता है।

3.00

जात मनसब द्वारा किसी व्यक्ति का किसी अधिकारियों के बीच स्थान या उसकी वरीयता का निर्धारण होता था। इसी के अनुसार उसका वेतन भी निर्धारित किया जाता था

4.00

5.00

6.00

7.00

Evening

PRIORITIES

Scanned with CamScanner

सवार मनसब द्वारा किसी व्यक्ति के सैनिक दायित्व का निर्धारण होता था, अर्थात् उसके अधीन सैनिकों की संख्या का निर्धारण होता था।

जात और सवार मनसब के बीच अनुपात भी निर्धारित था। सवार मनसब की संख्या किसी भी हालत में जात मनसब से अधिक नहीं हो सकता। यह संख्या या तो जात मनसब के बराबर या उसकी आधी या उसकी आधी से भी कम होती थी। इसी आधार पर मनसबदारों की श्रेणियाँ निर्धारित होती थी। एक समान जात मनसब पर काम करने वाले सभी अधिकारी एक ही वर्ग में रखे जाते थे। प्रत्येक वर्ग में तीन श्रेणियाँ होती थी।

यदि जात और सवार मनसब बराबर थे तो मनसब प्रथम श्रेणी में था। अगर सवार मनसब, जात मनसब का आधा था तो मनसबदार द्वितीय श्रेणी में था और यदि सवार मनसब जात मनसब के आधे से भी कम का था तो मनसब तृतीय श्रेणी का होता था।

केवल विशेष परिस्थिति में मनसब से अधिक संख्या सवार मनसब में दी जाती थी। इसे 'मशरूत मनसब' कहते थे और आवश्यकता समाप्त होने पर यह वृद्धि भी समाप्त कर दी जाती थी।

कुल मिलाकर मनसबदारों के 33 वर्ग और 99 श्रेणियाँ थी। ये पद वंशानुगत नहीं थे बल्कि हर व्यक्ति निम्न स्तर पर नियुक्ति पाने के पश्चात अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार पदोन्नति पाता था। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, जबकि मनसबदारों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार व्यक्ति को मीर बख्शी सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करता था। पदोन्नति की स्थिति में मनसबदार के जात मनसब में वृद्धि की जाती थी, जिससे कि उसका वेतन भी बढ़ जाता था। अयोग्यता के कारण सजा के रूप में जात मनसब में कमी भी की जाती थी, लेकिन सामान्यत: ऐसा नहीं किया जाता था।

Scanned with CamScanner